19.6.17 पत्रावली पेश हुई। वादी हाजिर। सुना गया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 RT Act के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बहेड़ा की जमाबंदी सं. 2061-64 के खाता सं. नया-पुराना 71-64 खसरा नम्बर 1654 रकबा 2-14-00 बीघा डीलर पुत्र लादू, धन्ना पुत्र उदा व0 हि0 अंजड़ 2 लादू, सुगना पि0 हीरा, पांचू पुत्र काना चमार व0 हि0 नं. 3 दर्ज है। इसी तरह खाता सं. नया-पुराना 399-387 खसरा नम्बर 1901/1654 रकबा 3-12-00 बीघा न0 2 हेमा पुत्र धन्ना, लादू, सुगना पिता हीरा, लादू पुत्र डीलर चमार दर्ज है, इस आराजी के पुराने नंबर 1411व 1413 है जो राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2018 से 24 मे वादी के पिता पांचू पुत्र काना चमार की खातेदारी खाता सं. 87-79 मे दर्ज है प्रतिवादीगण का इस आराजी से कोई वास्ता व सरोकार नही है न हो सकता है, यह आराजी वादीगण के कब्जे काश्त के निरंतर व निर्बाध रूप से अपने पूर्वजो के समय से चली आ रही है। वादीगण के पिता ने इस आराजी पे बैंक से ऋण लेकर कुआं खुदवाया था जो आज भी मौजूद है तथा मौके पर यह आराजी एक ही खेत के रूप मे स्थित है तथा उक्त आराजी की सिंचाई का एक मात्र साधन उक्त कुआ ही है लेकिन सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व अधिकारियो की गलती से उक्त आराजी जिसके नंबर भी परिवर्तित हुए थे जो परिवर्तित नंबर वाद मे वर्णित है, जो वादी के पिता के नाम अकेले के दर्ज न होकर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 के नाम वादीगण के पिता के नाम के साथ साथ कर दिया गया जो कतई गलत है उनकी कार्यवाही सर्वथा अनुचित है व नाजायज है उक्त कार्यवाही दुरुस्ती की जाकर उक्त आराजी से प्रतिवादी सं. 1 से 6 का नाम विलोपित किया जाना आवश्यक है उक्त आराजी का 1 नंबर जो 1658 भी बना जो रास्ता दर्ज हुआ, उसका वादी क्लेम नही कर रहा है वादीगण के पिता की आज से 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। वादीगण ही एक मात्र उसके वारिसान है अत: उक्त आराजीयात राजस्व अभिलेख मे एक मात्र वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज होनी चाहिए थी जिस बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण सहित प्रतिवादीगण सं. 7 को भी निवेदन किया लेकिन उन्होने कोई कार्यवाही नही की तथा दिनांक 19.1.17 को कतई इन्कार कर दिया जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। यदि राजस्व अभिलेख मे दुरुस्ती नही की जाती है एवं वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जाता है तो

FORM NO.3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...मुकाम...

....बनाम..

किस्म मुकदमा...न. ....सन्...

इससे वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी व बहुवाद कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा जिससे न्याय हित मे राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती की जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 6 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण के नाम खातेदारी हक से उक्त आराजी राजस्व अभिलेख मे दर्ज की जाना आवश्यक है। वादीगण को वाद पेश करने का मूल कारण दिनांक 10.1.2007 को उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। वाद अंदर मियाद है। अतः डिक्री किया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई, दिनांक 18.07.07 को प्रतिवादीगण की ओर से श्री शैलेन्द्र जैन एड. ने वकालतनामा प्रस्तुत किया किन्तु वाद मे अनुपस्थित रहने से दिनांक 18.09.2009 को प्रतिवादी सं. 1 से 5 के खिलाफ एक्स पार्टी की गई दिनांक दिनांक 25.2.14 को जवाब सरकार प्रस्तुत होने पर तनकीयात निम्न प्रकार से ~~[illegible]~~ कायम की गई :->

1. आया वाद पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित आराजी का वादी खातेदार काश्तकार घोषित होने का हकदार है।

— वादी

2. आया वादी का वाद वर्णित भूमि मे कोई हक अधिकार नही होने से वाद वादी खारिज होने योग्य है।

— प्रतिवादी

वादी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर साक्ष्य को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। प्रदर्श 1 जमाबंदी सं. 2061-64, प्रदर्श 2 जमाबंदी सं. 2061-64, प्रदर्श 3 जमाबंदी सं. 2057-60, प्रदर्श 4 - मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 6 जमाबंदी संवत 2068-71, प्रदर्श 5 जमाबंदी संवत 2018-21, प्रदर्श सं. 7 जमाबंदी सं. 2068-71, प्रदर्श 8, 9, 10, 11, 12, 13 जमाबंदी सं. 2068-71, पेश की, जमाबंदी संवत 2057-61 प्रस्तुत कर दावा डिक्री किये जाने की

की प्रार्थना की।

वादीगण को सुना गया। प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2018-21 वादीगण के पिता पांचू पुत्र कानां कौम चमार सा० मऊशी 5 है, वादीगण के पिता पांचू पुत्र कानां कौम चमार सा० देह खुद काश्त दर्ज है। मिलान कॅसफल Ex 4 के अनुसार खसरा नम्बर 1411 के नये नंबर बने तथा खसरा नम्बर 1413 के भी नये नंबर बने है। अत: तनकीवार वादी का वाद निम्नानुसार निर्णय किया है। →

<u>तनकी नं.1</u> → वाद वर्णित आराजी खाता सं. 71-64 में अंकित खसरा नम्बर 1654 रकबा 2-14-00 बीघा डीतर पुत्र नाथू, धन्ना पुत्र उ... पांचू पुत्र कानां चमार व० हि० ब०2, लादू, सुगना पि० हीरा, व पांचू पुत्र कानां चमार खाता सं. नया-पुराना 399-387 खसरा नम्बर 1901/1654 रकबा 3-12-00 हैमा पुत्र धन्ना, लादू, सुगना पि० हीरा, नाथू पुत्र डीतर चमार के नाम दर्ज है।

ग्राम बहेड़ा की जमाबंदी सं. 2018 से 21 के खाता सं. नया-पुराना 87-79 पांचू वल्द कानां कौम चमार सा० देह खुद काश्त दर्ज है। खसरा नं. 1411 रकबा 4-02-00 बा०3, 1413 रकबा 1-11-00 बा०2 किता 2 रकबा 5-13-00 है। पांचू वल्द कानां-वादीगण का पिता है।

अत: वादीगण 5-13-00 बीघा के खातेदार घोषित होने के हकदार है किन्तु वादीगण ने वाद पत्र के पैरा नं.3 मे खसरा नं. 1658 का क्लेम छोड रहे है, मिलान कॅसफल Ex 4 के अनुसार खसरा नम्बर 1658 रकबा 0-09-00 गै. मु० रास्ता के रूप मे दर्ज रहेगा। अत: वादीगण रकबा 5-04-00 बीघा का खातेदार दर्ज होने के अंतिम रूप से अधिकारी है। प्रतिवादी 1 से 5 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है। प्रतिवादी 7 के जवाब मे कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत नही हुए है अत: तनकी वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

<u>तनकी नं.2</u> → ग्राम बहेड़ा की जमाबंदी सं. 2018-21 के खाता सं. नया-पुराना 87-79 पांचू वल्द कानां कौम चमार साकिन देह खुद काश्त दर्ज है, जिसके किता 2 रकबा 5-13-00 बीघा खसरा नम्बर 1411 रकबा 4-02-00 बीघा बा०3, 1413 रकबा 1-11-00 बा०2, संवत 2022-25 की जमाबंदी के खाता सं. नया-पुराना 69-68 पांचू वल्द कानां कौम चमार के नाम दर्ज है। पांचू, वादीगण का पिता है अत: वादीगण का वाद वर्णित आराजी मे हक अधिकार निहित है। अत: यह तनकी प्रतिवादी सं.7 के खिलाफ व वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

Scanned by CamScanner

FORM NO.3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत..मुकाम..

....बनाम..

किस्म मुकदमा..न. ....सन्..

अनुतोष

तनकी नं. 1 व 2 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी के विरुद्ध तय गई है। अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिग्री दिये जाने योग्य पाया जाता है।

निर्णय

ग्राम वडेरा की जमाबंदी सं. 2061-64 के खाता सं. नया-पुराना 71-64 खसरा नं. 1654 रकबा 2-14-00 बीघा ईतर पुत्र नाथू, धन्ना पुत्र उदा, व०हि० व. 2, लादू, सुगना पिता हीरा व पाँचू पुत्र कना चमार व०हि० व. 3 दर्ज है, का नाम विलोपित किया जाकर पाँचू वल्द कना कौम चमार के वारिसान वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी तरह खाता सं. नया-पुराना 399-387 खसरा नं. 1901/1654 रकबा 3-12-00 बीघा ~~के~~ ~~के~~ हेमा, धन्ना लादू, सुगना पि० हीरा, नाथू पुत्र ईतर कौम चमार व० केह के खाते में है में से, 2-10-00 बीघा पाँचू वल्द कना कौम चमार के वारिसान को खातेदार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 1658 जो ख.नं. 1413 शामिल रकबा 1-11-00 बीघा में से 0.09.00 बिस्वा रास्ता के लिए रहेगा। डिग्री पर्चा जारी हो, खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय मजमे आम अटल सेवा केन्द्र सवाईंतपुरा में सुनाया गया।

G7

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)